न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी:- कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-130/2011 दायरा दिनांक 24.12.2011

GCMS CASE NO-2011/00005

1. मेहराम पुत्र रामरतन जाति विश्नोई निवासी ढांबा झल्लार तहसील सूरतगढ़
2. रामनारायण पुत्र रामरतन जाति विश्नोई निवासी ढांबा झल्लार तहसील सूरतगढ़
3. निम्मादेवी पत्नी स्व. लेखराम जाति विश्नोई निवासी ढाबां झल्लार तहसील सूरतगढ़
4. शेषकरण पुत्र लेखराम जाति विश्नोई निवासी ढाबां झल्लार तहसील सूरतगढ़
5. देवीलाल पुत्र लेखराम जाति विश्नोई निवासी ढावां झल्लार तहसील सूरतगढ़
6. संदीप कुमार पुत्र लेखराम जाति विश्नोई निवासी ढाबां झल्लार तहसील सूरतगढ़

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा पैरोकार राज
2. ब्रदीप्रसाद पुत्र गंगाराम जाति सुनार निवासी ढावां झल्लार तहसील सूरतगढ़
3. मांगीलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति सुनार निवासी ढाबां झल्लार तहसील सूरतगढ़

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 13 ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954

उपस्थितः—

1. श्री बलदेव बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अजय अरोडा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3

—:: निर्णय ::— दिनांक : 03.12.2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य प्रकार है कि गंगाराम, फुसाराम, चुनीराम पि. पिथा जाति सुनार निवासी ढाबां ब.हि.बराबर व मघा वल्द चतरा जाति सुनार निवासी ढाबां को दिनांक 07.12.1957 को 20 एल.जी.डब्लयु. के पत्थर नं. 27/296 के किला नं. 1 ता 5 की 5.00 बीघा व पत्थर नं. 28/296 के किला नं. 1 ता 5 की 5.00 बीघा व पत्थर नं. 27/297 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 12, 19 ता 22 की 12.00 बीघा व पत्थर नं. 28/297 के किला नं. 1 ता 25 की 25.00 बीघा व पत्थर नं. 29/297 के किला नं. 6, 15, 16 की 3.00 बीघा कुल 50.00 बीघा भूमि आवंटित हुई तथा उक्त भूमि की खातेदारी सनद क्रमांक 1289 दिनांक 18.07.1974 को जारी हुई। गंगाराम चुनीराम पुत्र पीथाराम ने खातेदारी सनद संख्या 1289 दिनांक 18.07.1974 को जारी होने से पूर्व ही दिनांक 27.06.1963 जारी को चक 20एल.जी.डब्ल्यु. के पत्थर नं. 27/297 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 की 5.00 बीघा, 2, 9, 12, 19, 25 की 5.00 बीघा, 3, 8 की 2.00 बीघा कुल 12.00 बीघा व पत्थर नं. 27/296 के किला नं. 22 ता 25 की 4.00 बीघा कुल 16.00 बीघा भूमि मेहराम पुत्र रामरतन जाति बिश्नोई साकिन ढाबां को तथा दिनांक 17.03.1969 पत्थर नं. 28/297 के किला नं. 21 ता 25 की 5.00 बीघा व पत्थर नं. 27/297 के किला नं. 21 की 1.00 बीघा कुल 6.00 बीघा भूमि मेहराम पुत्र रामरतन को तथा दिनांक 14.06.1974 को चक 20 एल.जी.डब्ल्यु. के पत्थर नं. 28/297 के किला नं. 5, 6, 15, 16 की 4.00 बीघा व 21 ता 25 की 5.00 बीघा कुल 9.00 बीघा भूमि लेखराम, रामनारायण, मेहराम पुत्र रामरतन को बेचान कर दी। तत्पश्चात खातेदारी जारी होने के बाद दिनांक 26.09.1974 को फुसा पुत्री पीथा ने चक 20 एल.जी.डब्ल्यु. के पत्थर नं. 28/297 के किला नं. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 की 9.00 बीघा भूमि लेखराम, रामनारायण पुत्र रामरतन को बेचान कर दी। इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 33/2000 ब अनवान स्टेट बनाम गंगाराम में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2001 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13—क (1क) के अन्तर्गत चक 20 एजीडब्लयू के पत्थर न. 27/296 के किला न. 21 की 1.00 बीघा व पत्थर न. 28/297 के किला न. 21 ता 25 की 5.00 बीघा कुल 6.00 बीघा [illegible] बहक मेहराम पुत्र रामरतन विधिमान्य घोषित किया गया। शेष रही [illegible] 27/297 के किला न. 1 ता 3, 8 ता 12, 19 ता 22 की 12.00 बीघा व पत्थर न. 27/296 के किला न. 22 ता 25 की 4.00 बीघा कुल 16.00 बीघा भूमि को बहक सरकार रिज्यूम करने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 88/2006 अनवान बद्री प्रसाद आदि बनाम मेहराम आदि में पारित निर्णय दिनांक 28.[illegible].2008 द्वारा चक 20/21 एलजीडब्ल्यू के पत्थर न. 27/297 के किला न. 1 ता 3, 8 ता 12, 19 ता 22

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:22:34 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

की 12.00 बीघा व पत्थर न. 27/296 के किला न. 22 ता 25 की 4.00 बीघा कुल 16.00 बीघा भूमि तथा पत्थर न. 28/297 किला न. 5, 6, 10 ता 20 कुल 13.00 बीघा व पत्थर न. 28/296 में किला न. 21 ता 25 की 5.00 बीघा कुल 34.00 बीघा भूमि बहक राज्य सरकार रिज्यूम करने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त दोनो निर्णयों के विरूद्व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ की अपील संख्या 162/2011 उनवानी मेहराम आदि बनाम राजस्थान सरकार व बद्रीप्रसाद आदि एवं अपील संख्या 163/2011 उनवानी मेहराम बनाम राजस्थान सरकार व ब्रदीप्रसाद आदि में दिनांक 12.10.2011 को निर्णय पारित करते हुए इस न्यायालय के दोनों निर्णयों को अपास्त करते हुए प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है।

रिमाण्ड प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बलदेव बिश्नोई उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैरोकार राज एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय अरोडा हाजिर आये। उभय पक्ष को साक्ष्य/सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया। प्रकरण में तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट मंगवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। इस न्यायालय की पत्रावली संख्या 33/2000 ब अनवान स्टेट बनाम गंगाराम को निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों श्रीगंगानगर से मंगवाने हेतु कई बार पत्राचार करने के उपरांत भी पत्रावली इस कार्यालय में प्राप्त नही हुई। हस्तगत प्रकरण लगभग 15 वर्षो से पेंण्डिग चला आ रहा है। वकील उभय पक्ष द्वारा प्रकरण का निस्तारण करने हेतु बार-बार निवेदन करने एवं राज्य सरकार द्वारा 10 वर्षो से अधिक प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण करने हेतु निर्देशित करने के कारण प्रकरण का निर्णय किया जा रहा है।

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने इस न्यायालय में उपस्थित आकर उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि बैयनामा दिनांक 27.06.1963, दिनांक 17.03.1969, दिनांक 14.06.1974 व दिनांक 26.09.1974 से जैर प्रार्थना भूमि खुरीदशुदा है। इन बैयनामों की कुल 34.00 बीघा भूमि जिसकी सम्मन फीस धारा 13 ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत खजाना राज में जमा करवाकर उक्त बैयनामो में वर्णित भूमि खरीद शुदा खातेदारी का नियमन किया जाये। प्रार्थीगण की 16.00 बीघा भूमि चक 20 एल.जी.डब्ल्यु. के पत्थर नं. 27/297 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 12, 19 ता 22 कुल 12.00 बीघा व इसी चक 20 एल.जी.डब्ल्यु. के पत्थर नं. 27/296 के किला नं. 22 ता 25 कुल 4.00 बीघा इस प्रकार कुल 16.00 बीघा भूमि जरिये पत्रावली संख्या 33/02 अनवानी सरकार बनाम मेहराम वगैरा निर्णय दिनांक 28.09.2001 द्वारा धारा 13 क (1क) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत बहक सरकार रिज्युम की गई थी। चक 20/21 एल.जी.डब्ल्यु. के पत्थर नं. 27/296 के किला नं. 21 की 1.00 बीघा व पत्थर नं. 28/297 के किला नं. 21 ता 25 की 5.00 बीघा कुल 6.00 बीघा के बैचान को विधी मान्य घोषित किया गया था। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2008 पत्रावली संख्या 88/2006 अनवानी बद्रीप्रसाद बनाम मेहराम में निर्णय दिनांक 28.09.2001 की 16.00 बीघा सम्मिलित करते हुये चक 20/21 एल. जी.डब्ल्यु. के पत्थर नं. 28/296 के किला नं. 21 ता 25 की 5.00 बीघा व पत्थर नं. 28/297 के किला नं. 5, 6, 10 ता 25 की 13.00 बीघा कुल 18.00 बीघा भूमि को सम्मिलित करते हुये कुल 34. 00 बीघा भूमि को बहक सरकार रिज्युम की गई। उक्त कुल 34.00 बीघा रिज्युम भूमि व निर्णय दिनांक 28.09.2001 में 6.00 बीघा भूमि विधी मान्य घोषित कुल 40.00 बीघा भूमि रेस्पो. बद्रीप्रसाद वगैरा के पिता गंगाराम, फुसा, चुन्नी पि. पिथा से बैयनामा दिनांक 27.06.1963 व 17.03.1969 व 14.06.1974 व 26.09.1974 द्वारा कुल 40.00 बीघा भूमि खरीद की हुई है। विक्रेता गंगाराम, फुसा, चुन्नी पि. पिथाराम सुनार निवासी ढाबा झलार द्वारा विवादित 50.00 बीघा भूमि भाखड़ा परियोजना राजकीय भूमि आंवटन एवं विक्रय नियम 1955 के पार्ट बी सेल रुल्स 19 के तहत निलामी में खरीद की गई थी जिसकी समस्त किस्त राशि निलामी समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 27.06.1963 से पूर्व ही खजाना राज में जमा करवा दी गई थी। जिसकी खातेदारी सनद् नं. 1289 दिनांक 18.07.1974 को जारी हो चुकी है। प्रथम बैचान दिनांक 27.06.1963 से पूर्व ही विवादित 50.00 बीघा भूमि के विक्रेता फुसाराम वगैरा खातेदार कृषक कानून बन चुके थे, केवल मात्र खातेदारी सनद् जारी होनी शेष थी। जरनल कॉलोनी कंडिसन 1955 के निमय 9 में स्पष्ट प्रावधान है कि सरकार से किसी भी समय सनद् प्राप्त करने का हकदार होगा। जरनल कॉलोनी कंडिसन 1955 के निमय 9 के तहत खातेदारी सनद् जारी करने की अवधि प्रत्येक काश्तकार [illegible] वर्ष निर्धारित की गई है। विक्रेतागण गंगाराम वगैरा दिनांक 27.06.1963 से पूर्व समस्त राशि जमा करवा चुके थे। आंवटन की 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी थी। विक्रेतागण कानून हस्तान्तरित [illegible] बीघा भूमि के खातेदार कृषक बन चुके थे। गंगाराम वगैरा ने पूर्ण [illegible] का हस्तान्तरण विभिन्न तारीखो में अपीलार्थीगण समस्त [illegible] के पश्चात् आंवटन से 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किया है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा [illegible]मा से भूमि सही खरीद की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:22:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

राज्य सरकार द्वारा संशोधन कर दिनांक 12.11.1992 को धारा 13 ए (1ए) में 7 वर्ष का प्रतिबंध समाप्त किया जा चुका है। राज्य सरकार के राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.4 (6) उप. 95 दिनांक 24.01.2005 से यह स्पश्ट किया गया है कि ऐसे मामलो में जिनमें आंवटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुये है एवं भूमि का बैचान धारा 13 ए के प्रावधानो के विपरीत कर दिया गया है तो इसके साल/दो साल/ सात साल आदि का प्रतिबंध दृश्टिगत नही होता है एवं ऐसे मामलो को उक्त अधिनियम की धारा 13क (1–क) के अन्तर्गत नियमित कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। अपील/एलआर/101/03/ गंगानगर अनवानी मुख्तयारसिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में पारीत निर्णय दिनांक 04.07.2005 में राजस्व मण्डल की माननीय एकल पीठ ने यह प्रतिप्रादित किया है कि ऐसे मामलो में सम्मन फीस लेकर नियमन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार डिप्टीसिंह बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 10.11.2009 में भी इन्ही सिद्धान्तो को मानते हुये सम्मन फीस जमा करवाकर नियमन की कार्यवाही की गई है एवं धारा 13 ए उपनिवेशन अधिनियम में भूमि राज्य के पक्ष में अधिग्रहण करने का कोई प्रावधान नही है। राज्य विज्ञप्ति प–4 (27) राज./84/22/4/91 के द्वारा 13 ए को समाप्त कर दिया गया है, इसी प्रकार प–4 (27) राज./39/84 दिनांक 22.04.1991में भी धारा 13 (1) के प्रवर्तन से अपवर्जित करती है। उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.01.2002 जुगलकिशोर बनाम स्टेट में यह व्यवस्था दी है कि किसी प्रावधान को हटा देने का आश्य यह होता है कि जैसे वह प्रावधान कभी नियमों में रखा ही नहीं गया हो। इसके आधार पर राज्य सरकार ने धारा 13ए को हटा दिया है। द्वारा बैयनामो को नियमन करवाने बाबत श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 28.12.1992 को जरिये चालान संख्या 795 दिनांक 28.12.1992 को खजाना राज में 33,000/–रुपये जमा करवा दिये थे एवं शेष राशि दिनांक 14.12.2012 को 27,000/–रुपये व दिनांक 31.12.2012 को 1,18,250/–रुपये ब्याज सहित 18.00 बीघा भूमि का चालान खजाना राज में जमा करवा दिया गया था। अपीलार्थीगण का 34.00 बीघा खरीद शुदा एवं खातेदारी भूमि का किसी प्रकार का कोई बकाया नही है एवं समस्त सम्मन फीस कानून जमा करवाई जा चुकी है। इसलिए धारा 13ए (1–क) के तहत नियमन करवाने के हकदार है। मौका पर खरीद से आज तक कब्जा काश्त अपीलार्थीगण का लगातार चल रहा है। अपीलार्थीगण उक्त रकबा नियमन करवाने के कानूनी अधिकारी है। नकल चालान संलग्न प्रार्थना पत्र है। वकील प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2002 पेज 655 व पेज 92 की ओर ध्यान दिलाया।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि गंगाराम एवं चुन्नी द्वारा निष्पादित बैयनामा दिनांक 17.03.1969 में विक्रय भूमि विवरण में काट–छांट की गई है। मूल विक्रयशुदा भूमि के अलावा अन्य भूमि का नियमन करवाने का प्रयास किया जा रहा है जो गलत है। अतः इस इस बैयनामा में वर्णित 6.00 बीघा भूमि का नियमन नहीं किया जावे एवं अन्य बैयनामा के संबंध में संबंधित बैयनामा की पूर्ण जांच करते हुए विविधवत निर्णय ही पारित किया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार सूरतगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 448 दिनांक 26.11.2024 अनुसार गंगाराम, फुसाराम, चुनीराम पि. पिथा जाति सुनार निवासी ढाबां ब.हि.बराबर व मघा वल्द चतरा जाति सुनार निवासी ढाबां को दिनांक 07.12.1957 को 20 एल.जी.डब्लयु. के पत्थर नं. 27/296 के किला नं. 1 ता 5 की 5.00 बीघा व पत्थर नं. 28/296 के किला नं. 1 ता 5 की 5.00 बीघा व पत्थर नं. 27/297 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 12, 19 ता 22 की 12.00 बीघा व पत्थर नं. 28/297 के किला नं. 1 ता 25 की 25.00 बीघा व पत्थर नं. 29/297 के किला नं. 6, 15, 16 की 3.00 बीघा कुल 50.00 बीघा भूमि आवंटित थी। उक्त भूमि में से दिनांक 27.06.1963 को चक 20 एल.जी.डब्ल्यु. के पत्थर नं. 27/297 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 की 5.00 बीघा, 2, 9, 12, 19, 25 की 5.00 बीघा, 3, 8 की 2.00 बीघा कुल 12.00 बीघा व पत्थर नं. 27/296 के किला नं. 22 ता 25 की 4.00 बीघा कुल 16.00 बीघा भूमि मेहराराम पुत्र रामरतन जाति बिश्नोई साकिन ढाबां को बेचान कर दी। जिसमें से पत्थर 27/297 का किला न. 25 आवंटन ही नहीं था। तत्पश्चात दिनांक 17.03.1969 पत्थर नं. 28/297 के किला नं. 21 ता 25 की 5.00 बीघा व पत्थर नं. 27/297 के किला नं. 21 की 1.00 बीघा कुल 6.00 बीघा भूमि मेहराम पुत्र रामरतन को बेचान कर दी जिसमें से पत्थर 27/297 का किला न. 21 दो बार बेचान है। तत्पश्चात दिनांक 14.06.1974 को चक 20 एल.जी. डब्ल्यु. के पत्थर नं. 28/297 के किला नं. 5, 6, [illegible] 4.00 बीघा व 21 ता 25 की 5.00 बीघा कुल 9.00 बीघा भूमि लेखराम, रामनारायण, मे[illegible] पुत्र [illegible]रतन को बेचान कर दी, जिसमे से पत्थर न. 28/297 का किला न. 21 ता 25 की 5.00 बीघा [illegible] बैयनामा दिनांक 17.03.1969 द्वारा विक्रयशुदा है।

खरीदशुदा भूमि दिनांक 27.06.1963 को चक 20/21 एल.जी.डब्ल्यु. के पत्थर नं. 27/297 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 कुल 5.00 बीघा, किला नं. 2, 9, 12, 19 की 4.00 बीघा किला न.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:22:34 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़, जिला श्री गंगा...

Scanned with OKEN Scanner

3, 8 की 2.00 बीघा कुल 11.00 बीघा व पत्थर नं. 27/296 के किला नं. 22 ता 25 की 4.00 बीघा कुल 15.00 बीघा भूमि मेहराराम पुत्र रामरतन जाति बिश्नोई साकिन ढाबां को तथा दिनांक 14.06.1974 को चक 20 एल.जी.डब्ल्यु. के पत्थर नं. 28/297 के किला नं. 5, 6, 15, 16 की 4.00 बीघा व बैयनामा दिनांक 26.09.1974 द्वारा बेचान पत्थर न. 28/297 के किला न. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 कुल 9.00 बीघा इस प्रकार कुल 28 बीघा पर निर्णय करना हम उचित समझते है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखो एवं तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट अनुसार खरीद की दिनांक से ही खरीददार का कब्जा काश्त है तथा तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 26.11.2024 अनुसार उक्त 28 बीघा भूमि पर वर्तमान में खरीददार का कब्जा काश्त है। राजस्व (उपनिवेशन) विभाग राजस्थान के आदेश क्रमांक एफ 4 (6)उप/95 जयपुर दिनांक 24.01.2005 द्वारा धारा (13) ए के अन्तर्गत के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले मामलो को रेग्यूलाईज कर खातेदारी अधिकार जारी करने निर्देश दिये गये है एंव विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो में भी सिद्वांत प्रतिपादित किये गये है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण ने शपथ पत्र पेश किया है कि जैर प्रकरण रकबा का नियमन होने के उपंरात भी सीलिंग सीमा से कम भूमि धारण में रहेगी। तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 26.11.2024 में न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर में प्रकरण जैरकार होना बताया है। उक्त प्रकरण विड्रॉ किये जाने के संबंध में प्रार्थीगण ने शपथ पत्र पेश किया है जो शामिल पत्रावली है। अतः हस्तगत प्रकरण नियमन योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर बैयनामा दिनांक 27.06.1963 द्वारा खरीदशुदा भूमि यथा तहसील सूरतगढ़ के चक 20/21 एल.जी.डब्ल्यु. के पत्थर नं. 27/297 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 कुल 5.00 बीघा, किला न. 2, 9, 12, 19 की 4.00 बीघा किला न. 3, 8 की 2.00 बीघा कुल 11.00 बीघा व पत्थर नं. 27/296 के किला नं. 22 ता 25 की 4.00 बीघा कुल 15.00 बीघा तथा बैयनामा दिनांक 14.06.1974 द्वारा खरीदशुदा भूमि चक 20 एल.जी.डब्ल्यु. के पत्थर नं. 28/297 के किला नं. 5, 6, 15, 16 की 4.00 बीघा व बैयनामा दिनांक 26.09.1974 द्वारा खरीदशुदा भूमि पत्थर न. 28/297 के किला न. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 बीघा कुल 9.00 बीघा इस प्रकार कुल 28 बीघा का नियमन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरतगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में यदि कोई रकम राज बकाया है तो प्रार्थीगण से नियमानुसार राशि भरवा ली जावे। चूंकि प्रकरण रकबा राज भूमि के नियमन का है, अतः प्रकरण विधि परीक्षण हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर को भिजवाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली बाद विधि परीक्षण प्राप्त होने पर विधि परीक्षण में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार इस निर्णय की क्रिन्यावितो करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली विधि परीक्षण हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3-12-24.

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:22:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner